भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1983

11 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

इस्पात आयात

1983. डॉ. एम. के. प्रसाद:

डॉ. कल्याण वैजीनाथराव कावे:

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस्पात के घरेलू मूल्यों, विशेषकर हॉट रोल्ड क्वॉयल की कीमतों के संबंध में, इस्पात के बढ़ते आयात और मुद्रास्फीति पर इसके प्रभाव से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार की घरेलू विनिर्माताओं की सहायता करने और उन्हें पाटन (डम्पिंग) की प्रक्रिया से बचाने के लिए आयातित इस्पात पर लेवी अथवा टैरिफ लगाने की कोई योजना है और यदि हां, तो ऐसे उपायों की समय-सीमा क्या है;

(ग) घरेलू इस्पात उत्पादन को प्रोत्साहित करने और वहनीय इस्पात पर निर्भर पूंजीगत व्यय परियोजनाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या सरकार को मुद्रास्फीति के दबाव को संतुलित करना चाहती है; और

(घ) दीर्घावधि में आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू इस्पात विनिर्माताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने के लिए क्या उपाय कार्यान्वित किए जा रहे है; और

(ड) निर्माण और विभिन्न अन्य उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले इस्पात की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (ड.): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और इस्पात मूल्य बाजार की मांग आपूर्ति गतिशीलता द्वारा निर्धारित होते हैं। सरकार देश में छोटे और मध्यम स्तर के उत्पादकों को शामिल करते हुए इस्पात क्षेत्र के विकास हेतु अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित कर एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करती है। सरकार ने भारत के इस्पात उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

जारी...2/-

i. सरकार ने देश में 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेशों को आकर्षित कर आयात को कम करने के लिए विशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की शुरुआत की है।

ii. इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश की शुरुआत करना, जिससे उद्योग, उपयोगकर्ताओं और आम जनता को गुणवत्तापूर्ण इस्पात की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए घटिया/दोषपूर्ण इस्पात उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया जा सके।

iii. कुछ इस्पात उत्पादों जैसे सीमलेस ट्यूब, पाइप और लोहे मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु इस्पात के खोखले उत्पाद (कास्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील के अलावा) (चीन गणराज्य से), इलेक्ट्रो-ग्लवेनाइज्ड स्टील (कोरिया आरपी, जापान, सिंगापुर), स्टेनलेस स्टील सीमलेस ट्यूब और पाइपों (चीन गणराज्य से), वेल्डिंग किए गए स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूबों (वियतनाम और थाईलैंड से) के संबंध में पाटन रोधी शुल्क उपाय वर्तमान में लागू हैं।

iv. चीन और वियतनाम से आने वाले वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब पर प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) लागू है।

v. फेरो-निकल और मोलिब्डेनम अयस्कों और सांद्रों (कंसंट्रेट्स), जो इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल हैं, पर आधारभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) 2.5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है।

******